

मंथन कमांक-104 “गांधी, गांधीवाद और सर्वोदय”

कुछ वैचारिक निष्कर्ष हैं:-

1. पिछले 100-200 वर्षों में गांधी एक सर्वमान्य सामाजिक विचारक के रूप में स्थापित हुये जिन्हें सम्पूर्ण विश्व में समान मान्यता प्राप्त है। आज भी गांधी की प्रासंगिकता उसी तरह बनी हुयी है।
2. संगठन विचारों की कब्र होता है। संगठन महापुरुष के विचारों को दीर्घकालिक बनाता है, रुढ़ बनाता है और किसी संशोधन के विरुद्ध उसी तरह टकराता है जिस तरह उक्त महापुरुष को टकराना पड़ा था।
3. संगठन मृत महापुरुषों के विचार समाज तक पहुँचाने का सबसे सफल और घातक माध्यम होता है इसलिए मृत महापुरुषों के विचार बिना विचारे कभी अक्षरशः स्वीकार नहीं करना चाहिए।
4. जब वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती है तब महाजनों येन गतः स पथः का आंख मूँदकर अनुकरण करना चाहिए और जब जन्म पर आधारित हो तब बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए।
5. गांधी समस्याओं के समाधान कर्ता थे और विनोबा संत। गांधी समझदार थे और विनोबा शरीफ। गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई और विनोबा ने राजनेताओं की गुलामी।
6. गांधी और लोहिया में बहुत फर्क था राजनैतिक मामलों में लोहिया गांधी के समान सत्ता के अकेन्द्रीयकरण के पक्षधर थे और आर्थिक मामलों में सत्ता के केन्द्रीयकरण के जबकि गांधी दोनों मामलों में अकेन्द्रीयकरण चाहते थे।
7. जयप्रकाश, विनोबा और लोहिया में बहुत फर्क था। विनोबा सत्ता से बाहर रह कर आचार्य कुल के माध्यम से राजनीति पर अंकुश रखने तक सीमित रहना चाहते थे तो जयप्रकाश सत्ता के साथ तालमेल करके उसका शुद्धिकरण चाहते थे और लोहिया उसमें घुसकर।
8. नाथुराम गोडसे और नेहरू में बहुत फर्क था। एक ने गांधी की शरीर की हत्या कर दी तो दूसरे ने विचारों की।
9. गोडसे का मार्ग गलत था और नेहरू की नीयत। गोडसे यदि गलत विचारों से प्रभावित न होता गांधी के साथ जुड़ा होता तो नेहरू की तुलना में अच्छा प्रधानमंत्री बन सकता था।
10. गोडसे का कार्य समाज के लिये घातक और अक्षम्य अपराध था साथ ही हिन्दू धर्म के लिए कलंक भी था।

जब भी समाज में कोई विचारक गंभीर विचार मंथन के बाद कुछ निष्कर्ष निकालता है तो वह निष्कर्ष समाज की प्रचलित मान्यताओं से कुछ भिन्न होता है। यदि उक्त निष्कर्ष समाज की तात्कालिक समस्याओं के समाधान में निर्णायक परिणाम देता है तो उक्त विचारक महापुरुष बन जाता है। उक्त महापुरुष के निष्कर्षों को सामान्य लोग बिना विचार किये ही स्वीकार करने लग जाते हैं। विचारक से महापुरुष बनने तक के बीच के कालखंड में विचारों को समाज तक पहुँचाने के लिये एक संगठन की आवश्यकता होती है। ऐसा संगठन उक्त विचारक के जीवन काल में भी बन सकता है और जीवन पश्चात भी। संगठन विचारों को समाज तक पहुँचाने की व्यवस्था करता है और जब उक्त विचार सफल प्रमाणित हो जाता है तब उक्त विचार को धीरे-धीरे रुढ़ बनाकर उन पर संगठन कुन्डली मारकर बैठ जाता है। इस तरह संगठन विचारों की कब्र होता है। संगठन के माध्यम से विचार सुरक्षित, अदृश्य, दीर्घकालिक और अनुपयोगी हो जाते हैं। संगठन विचारों को पुनर्विचार से दूर कर देते हैं। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिये जब कोई नया विचार सामने आता है तो उक्त

संगठन के महापुरुष को आकमण झेलने पड़ते हैं। प्रत्येक संगठन अपने महापुरुष के साथ किये गये दुर्घटवहार को अत्याचार घोषित करता है जबकि वह स्वयं भी आगे वाले विचारकों के साथ बिल्कुल वैसा ही अत्याचार करना शुरू कर देता है।

महात्मा गांधी ने गुलाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस संग्राम के लिये सत्य और अंहिंसा को मुख्य मार्ग घोषित किया। विदेशी वस्तु बहिष्कार उनका सहायक मार्ग था। धार्मिक, सामाजिक, जातीय एकता उक्त संग्राम के उपमार्ग थे, चर्खा, खादी और गांधी टोपी उक्त संग्राम की पहचान स्वरूप थे; लक्ष्य सिर्फ एक था, बिल्कुल स्पष्ट और सर्वमान्य था राष्ट्रीय स्वराज्य। स्वराज्य के लिये उन्होंने मार्ग, सहायक मार्ग, उपमार्ग, सहायक उपमार्ग आदि तय किये और तदनुसार ही वे इन मार्गों की उपयोगिता भी मानते थे। गांधी जी ने सत्य और अंहिंसा से कभी समझौता नहीं किया क्योंकि यह उनका मुख्य मार्ग था। चर्खा, खादी, गांधी टोपी से वे समझौते के लिये तैयार थे। यदि कोई व्यक्ति भिन्न वस्त्र टोपी या भिन्न संगठन वाला भी हो तो वे उसका बहिष्कार नहीं करते थे। गांधी के आन्दोलन में सब प्रकार के लोग शामिल थे चाहे वे गांधी जी के बताये कुछ उप मार्गों से असहमत ही क्यों न हों। गांधी जी ने अपने जीवन में किसी को अछूत नहीं माना क्योंकि उनके विचारों में अछूत कार्य होता है कर्ता नहीं। उन्होंने नारा दिया पाप से घृणा करो पापी से नहीं। गांधी जी ऐसे ऐसे बीमारों की भी सेवा करते थे जिनकी बीमारी गांधी जी को नुकसान कर सकती थी किन्तु उन्होंने ठीक करने का भरसक प्रयास किया।

गांधीजी के बाद उनके विचारों ने गांधीवाद का स्वरूप ग्रहण किया। गांधीवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा थी तत्कालीन समस्याओं का सत्य और अंहिंसा के मार्ग से समाधान का प्रयत्न। इसमें तत्कालीन समस्याओं का समाधान लक्ष्य था और सत्य अंहिंसा मार्ग। गांधी के बाद गांधीवाद विचारों से दूर होने लगा और धीरे-धीरे विचारों से हटकर संस्कार बन गया। अब उसकी परिभाषा बदल कर हो गई सत्य और अंहिंसा के आधार पर ही समस्याओं के समाधान का प्रयत्न। सत्य और अंहिंसा लक्ष्य बन गया, समाधान गौण। समस्याओं की पहचान के लिये तात्कालिक परिस्थियों के साथ कोई तालमेल नहीं रहा और धीरे-धीरे गांधी से दूर होता चला गया।

गांधी की मृत्यु के बाद राजनेताओं ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में गांधीवाद के दुरुपयोग की योजना बनाई। गांधी संस्थाओं के पक्षधर थे और नेता संगठन बनाना चाहते थे। उन लोगों ने सीधे-साधे विनोबा को धोखा देकर एक सर्व-सेवा-संघ नाम से गांधीवादियों का संगठन बना दिया। बिचारे विनोबा जीवन भर समाज सुधार का कार्य करते रहे और देशभर के राजनेता सारे हिन्दुस्तान को राजनैतिक आधार पर गुलाम बनाने में सफल हो गये। सर्वोदय के लोग आज भी देशभर में समाज सेवा के उच्चकीर्ति मान बनाते देखे जाते हैं और सारा मालमलाई 70 वर्षों से देश के नेता खा रहे हैं लेकिन सर्वोदय के लोगों की या तो आंख बंद है या असहाय है अथवा हो सकता है जूठन से संतुष्ट हो।

इसमें शामिल अधिकांश लोग बहुत त्यागी चरित्रवान पद और धन के प्रलोभन से दूर उच्च संस्कारवान हैं किन्तु उनमें विचार एवं चिन्तन शक्ति का सर्वथा अभाव है। वे समस्याओं का ठीक-ठीक ऑकलन नहीं कर पाते। वे समस्याओं के समाधान के लिये अंहिंसा को शस्त्र के रूप में प्रयोग न करके अपने पलायन की ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। वे विपरित विचार वालों से तर्क नहीं कर सकते। विचार मंथन इनके आचरण में दूर-दूर तक नहीं है।

गांधी विपरीत विचार रखने वाले को अछूत नहीं मानते थें गांधीवादी उन्हें अछूत मानकर घृणा करते हैं। गांधी जी स्वयं को इतना दृढ़ मानते थे कि उन पर असत्य के प्रभावी होने का कोई भय नहीं था परिणाम स्वरूप वे सबके बीच अपनी बात रखने का साहस करते थे। गांधीवादी इतने भयभीत हैं कि वे दुसरों के विचारों से प्रभावित होने के डर से उनसे दूर भागते हैं। गांधी जी वैचारिक विस्तार के पक्षधर थे। गांधीवादी संगठन की सुरक्षा में ही परेशान रहते हैं। गांधी जी इस्लाम के खतरे को भली भांति समझते हुए भी एक रणनीति के अन्तर्गत उनसे समझौता करते थे। गांधीवादी इस्लाम के खतरे को न समझते हैं न समझना चाहते हैं। गांधी जी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे। वे साम्प्रदायिकता को कभी स्वीकार नहीं करते थे। गांधीवादी धर्मरिपेक्षता का एक ही अर्थ समझते हैं संघ का विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण। गांधी जी साम्यवाद को घातक विचार मानते थे गांधीवादी साम्यवाद को समझते ही नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हिंसा का सैद्धान्तिक रूप से भी और व्यावहारिक रूप से भी समर्थन करने वाले साम्यवादियों और आतंकवादी मुसलमानों के विरुद्ध गांधीवादियों का न कभी प्रत्यक्ष विरोध दर्ज होता है और न परोक्ष। किन्तु यदि प्रशासन इनके विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाता है तो गांधीवाद अवश्य ही विरोध में हल्ला करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी सरकारीकरण के बिल्कुल विरुद्ध थे और समाजीकरण के पक्षधर थे गांधीवादी सरकारीकरण के पक्षधर हैं और समाजीकरण को समझते ही नहीं। वे तो व्यापारीकरण के स्थान पर सरकारीकरण की वकालत तक करते हैं। गांधी जी निजीकरण के स्थान पर समाजीकरण चाहते थे। गांधीवादी निजीकरण का विरोध तो करते हैं परन्तु वे सरकारी कारण को या तो समझते नहीं या उनके संस्कार उनकी समझदारी में बाधक हैं।

आज देश में ग्यारह समस्याएँ बढ़ रहीं हैं। भारत के सभी राजनैतिक दल इन ग्यारह समस्याओं के समाधान की अपेक्षा दस प्रकार के नाटकों में संलग्न हैं। इन राजनैतिक दलों की नीतियाँ तो गलत हैं ही नीयत भी गलत हैं। साम्यवादी भी अपने राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इन दस नाटकों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। संघ परिवार की नीयत अर्ध राजनैतिक है। उसकी नीतियाँ साम्प्रदायिकता से भी प्रभावित हैं और पूँजीवाद से भी। परिणाम स्वरूप वे सात समस्याओं के तो समाधान की चिन्ता करते हैं किन्तु आर्थिक असमानता और श्रम शोषण पर नियंत्रण की वे कभी नहीं सोचते। मिलावट की रोकथाम के विषय में भी वे चुप ही रहते हैं। क्योंकि मिलावट और व्यापार का चोली दामन का संबंध बन गया है। सबसे दुखद है कि संघ परिवार साम्प्रदायिकता के विषय में भी स्पष्ट नहीं है। उसके अनेक कार्य तो साम्प्रदायिकता को मजबूत करने में ही सहायक होते हैं। गांधीवादियों का वर्ग ही एक ऐसी जमात है जो राजनीति से संबंध नहीं रखती किन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि इनकी नीयत ठीक होते हुए भी नीतियाँ देश की सभी ग्यारह समस्याओं के विस्तार में सहायक हो रही हैं। राजनीतिज्ञ जानबूझकर नाटक करते रहते हैं और गांधी वादी अनजाने में उसके पात्र बन जाते हैं। मेरा यह आरोप अत्यन्त ही गंभीर हैं और हो सकता है कि यह गलत ही हो किन्तु अब तक मैंने जो समझा वह ऐसा ही है और यदि इस संबंध में कोई बहस छिड़ती है तो मैं उसका स्वागत ही करूँगा।

मैंने गांधी को बहुत सुना और समझा है। गांधीवाद को भी प्रयोग करके पूरी तरह सफल होता देखा है और गांधीवादियों से भी खूब चर्चा की है। गांधीवादी तर्क से बहुत भागते हैं। वे स्वयं को अन्य लोगों से अधिक श्रेष्ठ और आचरणवान मानकर दुसरों से घृणा करते हैं। किसी भी मामले में अपनी बात कहीं नहीं कहते बल्कि जो भी कहते हैं उसमें गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का नाम जोड़े बिना न एक लाईन लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं और न भाषण दे सकते हैं। उन्होंने गांधी, विनोबा, जयप्रकाश को कभी समझने का प्रयास किया हो तब तो वे उनकी बात को अपने शब्दों में वर्तमान स्थितियों के

साथ जोड़कर कह पाते। उन्हे तो सभी समस्याओं के समाधान के रूप में गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के उस समय की परिस्थितियों में कहे गये शब्दों के आधार पर बने उनके संस्कार ही पर्यात्त दिखते हैं और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। अधिकांश गांधीवादी इन बातों को समझते भी हैं और गुप्त रूप से चर्चा भी करते हैं किन्तु संस्कारित गांधीवादियों के समक्ष वैचारिक गांधीवादी हमेशा भयभीत रहते हैं। कितनी चिंता की बात है कि जो गांधी गुजरात से अहिंसा की शिक्षा लेकर सारी दुनियां का मार्गदर्शन करने में सफल हुआ उसी गुजरात से हिंसा का पाठ सीखकर नरेन्द्र मोदी सारी दुनियां में लगातार सफल होते जा रहे हैं। क्योंकि सर्वोदय के पास मृत गांधी, विनोबा, जयप्रकाश का नाम मात्र है, अपने विचार नहीं। वे संघ की आलोचना तक सीमित हैं, विकल्प नहीं बता सकते। चिंतन का विषय है कि जो गांधी अंहिंसा और सत्य को सर्वोच्च स्थान देते थे वहीं गांधीवादी अब नक्सलवादियों और मुस्लिम उग्रवादियों के पक्ष में खड़े दिखते हैं। जिस गांधी को हिन्दुओं के बहुमत का समर्थन प्राप्त था उन हिन्दुओं को गांधीवादियों ने धक्का देकर संघ परिवार के पक्ष में खड़ा कर दिया क्योंकि गांधी के पास मौलिक चिंतन था और सर्वोदय के पास मात्र नकल। गांधी के पास समझदारी थी तो सर्वोदय के पास शराफत। सर्वोदय के लोग साम्यवादियों के जाल में फँसकर इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें साम्यवादी गांधी व विनोबा के समान दिखते थे। एक बाद ठाकुरदास बंग, सिदराज ढड़ा आदि ने इस संगठनात्मक ढाँचे को तोड़ने का प्रयास किया तो कुमार प्रशांत ने आगे आकर साम्यवादियों के पक्ष में इस सुधार का भरपूर विरोध किया और सफलता पायी।

मैं महसूस करता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद जिन ग्यारह समस्याओं का विस्तार हुआ है उसका समाधान सिर्फ गांधीवाद के पास है। न तो इसका समाधान पूँजीवाद के पास है न ही साम्यवाद के पास। ये दोनों ही या तो समस्याओं को बढ़ा सकते हैं या उससे लाभ उठा सकते हैं। गांधीवाद ही इनके समाधान का मार्ग निकाल सकता है और आज की समस्याओं के समाधान के निमित्त गांधीवाद को कोई गांधी ही परिभाषित कर सकता है गांधीवादी नहीं। क्योंकि गांधी दाण्डी यात्रा समस्या के समाधान के लिये करते थे और ये गांधी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नकल करते हैं। गांधी जी के वस्त्र किसी पूर्व महापुरुष की नकल न होकर भारत के आम निवासियों के दुख दर्द की असल थे। ये लोग नकल करके गांधी चश्मा, उनके कपड़े और उनकी दाण्डी यात्रा करके गांधी बनना चाहते हैं। ये गांधी को कभी समझे नहीं तो गांधीवाद को क्या समझेंगे। इस लिए आज भारत को एक गांधी की जरूरत है, एक ऐसे गांधी की जो अपना नाम गांधी रखे या कोई और, वह चाहे खादी पहने या कुछ और, वह दाण्डी यात्रा करे या कोई और यात्रा करे यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वह गांधी के सत्य और अहिंसा का डण्डा और झण्डा उठाकर ग्यारह समस्याओं के समाधान के लिए निकल पड़े और भारत की सभी हिंसक, साम्रादायिक, जातीय स्वार्थान्ध, राजनैतिक शक्तियों को एकसाथ चुनौती देकर घोषणा करें कि अब तक हमने बहुत सहा अब सहेंगे नहीं, हम चुप रहेंगे नहीं, झंडा उठा लेंगे हम।

मैं जानता हूँ कि स्थापित संगठन ऐसे विचारों को बरदाश्त नहीं कर सकते। यदि किसी गांधी ने आकर गांधीवाद को इस ढंग से परिभाषित किया तो उक्त विचारक गांधी को सबसे पहले टकराव संस्कारित गांधीवादियों का ही झोलना पड़ेगा और वह टकराव किसी भी सीमा तक जा सकता है। यदि गांधी ने इन संस्कारित गांधीवादियों को समझाकर कोई मार्ग निकाल लिया तब तो उसके जीते जी ग्यारह समस्याओं के समाधान का मार्ग निकल सकता है अन्यथा उनका भी वही हाल होगा जो इशुमसीह का हुआ गांधी का हुआ और तब उनके बाद उनके नाम से एक नया संगठन नयावाद खड़ा होगा और दुनियां में वादों के साथ एक नया वाद जुड़कर वाद-विवाद में सहायक बन जायेगा।

मंथन कर्मांक-105 “जीव दया सिद्धांत”

कुछ निष्कर्ष हैं:-

1. कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत सीमा तक ही किसी अन्य पर दया कर सकता है, अमानत का उपयोग नहीं किया जा सकता। राजनैतिक सत्ता समाज की अमानत होती है, व्यक्तिगत नहीं।
2. समाज में चार प्रकार के लोग होते हैं— मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक। मार्गदर्शक और पालक को प्रवृत्ति में दयालु होना चाहिए जबकि रक्षक और सेवक को दयालु प्रवृत्ति प्रधान नहीं होना चाहिए।
3. न्यायाधीश को प्राप्त शक्ति तंत्र की अमानत होती है। न्यायाधीश को किसी भी मामले में किसी के साथ दया करने का अधिकार नहीं है।
4. मनुष्य को छोड़कर किसी अन्य जीव को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। पशु—पक्षी या पेड़—पौधे का कोई मौलिक अधिकार नहीं होता।
5. समाज किसी भी पशु जीव पेड़—पौधे को अवध्य घोषित कर सकता है किन्तु कोई वर्ग नहीं कर सकता। किसी वर्ग द्वारा घोषित किसी पशु पक्षी को सम्मान देना अन्य वर्ग की मजबूरी नहीं है।
6. जो लोग गाय को माता न समझ कर पशु समझते हैं उनकी स्वतंत्रता में तब तक बाधा नहीं पहुँचाई जा सकती जब तक सम्पूर्ण समाज ने मान्य न किया हो।
7. सब प्रकार के जीवों के बीच संतुलन होना चाहिए। जीव दया का सिद्धांत असंतुलन पैदा करता है। दया या हिंसा करना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं।
8. बंदर, कुत्ते और नील गायों की बढ़ती संख्या अव्यवस्था फैलाती है। बंदर हनुमान का भी प्रतीक हो सकता है और बालि का भी।
9. भारत के वर्तमान कानूनों में दया का भाव अधिक होने के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं तथा आवारा पशुओं की संख्या भी अव्यवस्था फैला रही है।

मेरा अपना अनुभव है कि जीव दया का सिद्धांत अधिक प्रभावी होने से अव्यवस्था फैलती है जैसा भारत में हो रहा है। सरकारों ने अनेक अनावश्यक कानून बना दिये हैं। पशुओं को किस प्रकार का कष्ट दिया जाये इसके भी नियम बनाये गये हैं। कोई व्यक्ति अमानवीय तरीके से अपने पशु को नहीं पीट सकता न ही अमानवीय तरीके से काट सकता है। मुर्गों को काटा जा सकता है रेत—रेत कर जब्ता किया जा सकता है किन्तु ठूस—ठूस कर गाड़ी में नहीं भरा जा सकता क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य जीव को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है तब सरकार ऐसे मामले में कानून कैसे बना सकती है। फिर भी सरकारे कानूनों का दखल बढ़ा रही हैं। राज्य अनेक मामलों में दया करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है जबकि राज्य की शक्ति समाज की अमानत है और समाज के निर्णय के बाद ही राज्य किसी के साथ दया कर सकता है, किन्तु वह करता है। यदि राज्य दया करने लग जायेगा तो समाज में अपराध और अव्यवस्था बढ़ेगी ही वर्तमान समय में राज्य निरंतर ऐसा ही कर रहा है।

मैं हिमाचल के एक गांव में गया था। मैंने देखा कि वहाँ के आम लोग बंदरों से बहुत परेशान थे लेकिन वे धार्मिक भावना से बंदर को मार नहीं सकते थे और कानून भी उन्हें रोकता था। मैंने उन्हें सलाह दी कि आपको जो बंदर हनुमान सरीखा दिखे उसकी रक्षा किजिए और बालि सरीखा दिखे तो मार देना चाहिए क्योंकि भगवान राम ने भी ऐसे बंदर का वध किया था। बिहार और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान नील गायों से परेशान है। मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने इस समस्या को समझकर समाधान करना चाहा तो निकम्मे धर्म—प्रेमियों ने रोड़ा डालने का प्रयास किया। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों का उत्पात मचा हुआ है। जंगली हाथी प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान करते हैं, ग्रामीणों के घर तोड़ देते हैं और सैकड़ों की संख्या में निरपराध लोगों की हत्या कर देते हैं। यदि ग्रामीण किसी आकामक हाथी की हत्या कर दे तो वह जेल में बंद कर दिया जायेगा किन्तु यदि हाथी किसी ग्रामीण की हत्या कर दे तो उसे सिर्फ दो लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा। दूसरी ओर ग्रामीण अगर किसी ट्रेन एक्सीडेंट में या दुर्घटना में मर जाये तो मुआवजा दो लाख से कई गुना अधिक मिल सकता है किन्तु हाथी के मारने पर दो लाख की भीख सरकार द्वारा दी जाती है। बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते निर्दोष लोगों को काटते हैं और उसके लिये भारी संकट झेलना पड़ता है। मैं जब नगरपालिक का अध्यक्ष था तब मैंने आवारा कुत्तों को मरवाने का अभियान चलाया। अनेक तथाकथित दयालु लोग सामने

आये कि कुत्तों को इस तरीके से निर्दयतापूर्वक मारना ठीक नहीं है। इन नासमझों ने कभी यह नहीं सोचा कि इन कुत्तों के काटे हुये लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं। जीव दया के नाम पर जिस प्रकार असंतुलन बढ़ाया जा रहा है वह भारत के कृषि उत्पादन पर भी बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

मैं देख रहा हूँ कि गौ हत्या के नाम पर नर हत्या का भी समर्थन किया जा रहा है। गाय आपकी माता है, आवश्यक नहीं कि वह मेरी भी माता हो। गाय कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है क्योंकि हिन्दू अपने को साम्प्रदायिक न मानकर समाज के रूप में मानता है अर्थात् हिन्दुत्व जीवन पद्धति है सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। ऐसी स्थिति में गौ रक्षा का निर्णय समाज जब तक नहीं करता तब तक आप किसी को यह मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वह गाय को माता माने। जीव दया के सिद्धांत में सबसे ज्यादा अव्यवस्था जैन लोगों ने की है। भगवान महावीर ने अपना वैचारिक और नैतिक प्रभाव डालकर दया और अहिंसा पाठ पढ़ाया, कानून का सहारा कभी नहीं लिया। निकम्मे दयावान लोग कानून के द्वारा दया भाव का विस्तार करना चाहते हैं जो एक गलत मार्ग है।

अहिंसा और दया के एक पक्षीय प्रचार ने भारत का बहुत नुकसान किया। शत्रु के साथ कैसी दया कैसी अहिंसा ? अहिंसा और दया भाव ज्ञान प्रधान तथा व्यवसायी प्रवृत्ति के लोगों तक सीमित रहना चाहिये। यदि राज्य भी अहिंसा और दया करने लगेगा तो गुलामी स्वाभाविक है। आज सारी दुनियां में यदि कटटरवादी इस्लाम समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है तो उसका मुख्य कारण यही अहिंसा और दया का भाव है। स्पष्ट नीति बननी चाहिये कि राज्य का काम अहिंसा या दया करना नहीं है क्योंकि राज्य को दी गई शक्ति समाज की अमानत है और राज्य का दायित्व सुरक्षा और न्याय। उसके लिए आवश्यक है कि हिंसा और दया के बीच संतुलन हो। यदि असंतुलन होता है तो राज्य को ऐसा संतुलन बनाने के लिए समुचित हिंसा का उपयोग करना चाहिए।

जो विचारक या व्यवसायी हैं उन्हें दया और अहिंसा को अपनाना चाहिये किन्तु कभी राज्य पर दबाव नहीं बनाना चाहिये कि वह अहिंसा और दया को नीतियों का आधार बनाये। मेरे विचार से वर्तमान भारत में दयाभाव का विस्तार एक समस्या के रूप में विस्तार पा रहा है। इसे समाधान के रूप में आना चाहिए।

मंथन क्रमांक 106—समस्या कौन ? इस्लाम या मुसलमान

कुछ निश्चित सिद्धान्त है।

1 प्राचीन समय में धर्म व्यक्तिगत होता था कर्तव्य के साथ जुड़ा होता था। वर्तमान समय में धर्म संगठन के साथ भी जुड़कर विकृत हो गया है।

2 हिन्दू विचार धारा धर्म की वास्तविक परिभाषा से जुड़ी हुई है जबकि संघ परिवार साम्यवाद और इस्लाम संगठनात्मक परिभाषा से।

3 हिन्दू बहुमत गुण प्रधान धर्म को महत्व देता है तो मुसलमान बहुमत संगठन प्रधान धर्म को।

4 दुनियां में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 1 प्रेरक 2 प्रेरित। आम तौर पर प्रेरक संचालक होते हैं और प्रेरित संचालित।

5 दुनियां में कुल मिलाकर जितने अपराध धर्म के नाम पर होते हैं उससे कई गुना कम अपराध वास्तविक अपराधियों द्वारा।

6 धर्म की आदर्श परिभाषा संख्या विस्तार में बाधक होती है और संगठन प्रधान परिभाषा बहुत लाभदायक।

7 गुण प्रधान धर्म राज्य की विचार धारा को प्रभावित करने तक सीमित रहता है जबकि संगठन प्रधान धर्म राज्य की सभी गतिविधियों पर सहभागिता करना चाहता है। मुसलमान इस मामले में सबसे अधिक सक्रिय रहता है।

8 गुण प्रधान धर्म व्यक्ति के मौलिक अधिकार मानता है संगठन प्रधान धर्म मौलिक अधिकार को अमान्य करके व्यक्ति को सामाजिक अधिकार तक सीमित करता है।

9 संगठित इस्लाम संख्या वृद्धि के लिये सब प्रकार के साधनों का उपयोग करना धर्म समझता है चाहे साधन नैतिक हो या अनैतिक। दुनियां के अन्य धर्मों की तुलना में मुसलमान इसे पहला दायित्व समझता है।

प्राचीन समय में गुण प्रधान धर्म को ही एक मात्र मान्यता प्राप्त थी। इस्लाम ने इस मान्यता को बदलकर उसमें संगठन प्रधानता का समावेश कर दिया जो धीरे धीरे बढ़कर अब मुख्य आधार बन चुका है। इस्लाम का जो समूह जितना

अधिक संगठित है वह उतनी ही अधिक तेज गति से विस्तार कर रहा है। यह संगठित समूह सबसे पहले राज्य पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। इन समूहों में वर्तमान समय में सुन्नी समुदाय सबसे आगे है जबकि सुफी गुण प्रधान होने के कारण सबसे कमज़ोर। 14गुण प्रधान इस्लाम 5 शिक्षाओं को ज्यादा महत्व देता है। एकेश्वर वाद, रोजा, नमाज, जकात, हज। संगठन प्रधान इस्लाम संख्या विस्तार बहु विवाह राज्य व्यवस्था पर अंकुश तथा हिंसा पर अधिक विश्वास करता है। 15गुण प्रधान इस्लाम भिन्न विचार धाराओं का भी सम्मान करता है तो संगठन प्रधान इस्लाम किसी अन्य के अस्तित्व को ही स्वीकृति नहीं देता। गुण प्रधान सहजीवन को महत्व देता है। संगठन प्रधान इस्लाम एकला चलो की नीति पर विश्वास करता है।

यदि हम संगठन प्रधान धर्म की उत्पत्ति पर विचार करे तो वह किसी व्यक्ति तथा किसी ग्रन्थ पर अंतिम विश्वास के साथ शुरू होती है। धीरे धीरे संगठन विस्तार करता है और जब निरंतर विस्तार करता रहता है तब कुछ सौ वर्षों में वह संगठन संप्रदाय का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जब संप्रदाय भी कुछ सौ वर्षों तक बढ़ता जाता है तब वह धीरे धीरे अपने को धर्म कहने लग जाता है। इस्लाम के साथ भी यही हुआ और अन्य संगठन प्रधान धर्मों के साथ भी। धीरे धीरे जैन बौद्ध और सिख भी विस्तार के साथ साथ धर्म बनते चले गये। आर्य समाज धर्म बनने में पिछड़ गया तो संघ परिवार निरंतर विस्तार पर है। संगठन सफलता की सीढ़िया चढ़कर अपने को धर्म घोषित कर देता है जबकि वर्तमान समय में हिन्दुत्व को छोड़कर कोई भी अन्य अपने को धर्म कहने का हकदार नहीं है क्योंकि अन्य एक महापूरुष तथा एक ग्रन्थ को अंतिम सत्य मानते हैं और दूसरों के अस्तित्व नहीं मानते जबकि हिन्दू इसके ठीक विपरीत है। इस तरह कहा जा सकता है कि हिन्दुत्व जीवन पद्धति है संगठन नहीं। हिन्दू संगठनों का समूह कहा जा सकता है।

वर्तमान समय में इस्लाम संगठन शक्ति के आधार पर जितनी तेज गति से आगे बढ़ा उतनी ही तेज गति से बदनाम भी हुआ। 16मुसलमान और उसका एक मात्र धर्म ग्रन्थ कुरान प्रेरक है तो मुसलमान प्रेरित। कुरान में ही गुण प्रधान धर्म की शिक्षाओं का भी विस्तृत विवरण है तो कुरान में ही संगठन प्रधान धर्म को भी पूरी मान्यता दी गई है। मुसलमान जिस दिशा में जाना चाहता है उस दिशा में जाने की पूरी शिक्षाएं कुरान में उपलब्ध हैं। 17मुसलमान आम तौर पर भावना प्रधान होता है, प्रेरित होता है, धर्म भीरु होता है और इमानदार होता है। मुसलमान संगठनात्मक विस्तार के लिये जो भी हिंसा और अपराध करता है उसकी प्रेरणा भी उसे कुरान से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि 18दुनियां में मुसलमना यदि एक गंभीर समस्या के रूप में स्थापित हो रहा है तो उसका कारण धर्म ग्रन्थ कुरान है और उसके प्रमुख धर्म गुरु कुरान के उस खतरनाक अंश को मुसलमानों तक ज्यादा प्रयास करके पहुचाते हैं। कुरान में चार शादी करने को अच्छा नहीं माना गया है। इसका अर्थ हुआ कि मुसलमान यदि चार से अधिक शादी करता है तब वह पतित होगा चार से कम में नहीं। यदि कोई सरकार यह नियम बना ले कि उसके देश का मुसलमान एक से अधिक विवाह नहीं करेगा तो मुल्ले मौलवी इसे धर्म के विरुद्ध प्रचारित करते हैं क्योंकि यह संख्या विस्तार के विरुद्ध जाता है जबकि कुरान ऐसा नहीं कहता। गोमांस भक्षण भी मुसलमान के लिये आवश्यक नहीं है। इस तरह अनेक ऐसे मामले हैं जो संगठन प्रधान इस्लाम के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाते हैं और उस प्रतिष्ठा के लिये कहीं न कहीं कुरान की आयते खोज ली जाती है जिस पर सभी मुसलमानों की गहरी आस्था है।

समस्या बहुत जटिल है क्योंकि मुसलमान प्रेरित है और इस्लाम प्रेरक। प्रेरक कभी अपराध नहीं करता क्योंकि प्रेरक तो सिर्फ प्रेरणा देने तक सीमित रहता है। प्रत्यक्ष किया में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में दुनियां के निशाने पर मुसलमान ही होते हैं जो अपने धर्म गुरुओं और धर्म ग्रन्थों की प्रेरणा से प्रभावित होकर समस्याएं पैदा करते हैं। जबकि वास्तविक दोष धर्म ग्रन्थों और धर्म गुरुओं का होता है। समाज के पास इसका कोई विकल्प नहीं दिखता क्योंकि धर्म ग्रन्थ मुसलमानों के लिये अंतिम सत्य हैं और वह उससे भिन्न कोई आचरण नहीं कर सकता। दुसरी ओर धर्म ग्रन्थों में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। इसलिये समाधान बहुत सोच समझकर योजना बद्ध तरीके से करना होगा। मुसलमानों को धीरे धीरे व्यवहार के माध्यम से समझा बुझा कर धार्मिक दिशा में मोड़ना होगा जिससे वे अपने संगठनात्मक ढाँचे से दूरी बनावे। दुसरी ओर संगठनात्मक इस्लाम के साथ कुछ कठोर व्यवहार उचित होगा। वर्तमान समय में संघ परिवार ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से जो नई पहल शुरू की है उसे और अधिक विस्तार दिये जाने की आवश्यकता है। यह पहल मुसलमानों के सहजीवन के साथ जुड़ने की प्रेरणा देगी। इस पहल से मुसलमान संगठन प्रधान इस्लाम से

कुछ दुरी बना सकेगा और भारत दुनियां की इस खतरनाक प्रवृत्ति को बचने की पहल कर सकेगा। मेरा ऐसा मत है कि इस समय विशेष परिस्थिति मानकर तथा सब प्रकार के भेद भाव भूलकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का तेजी से विस्तार करना चाहिये।

मंथन क्रमांक—107 “भारत की राजनीति और राहुल गांधी”

कुछ स्वीकृत निष्कर्ष हैं—

1. धर्म और राजनीति में बहुत अंतर होता है। धर्म मार्ग दर्शन तक सीमित होता है और राजनीति क्रियात्मक स्वरूप में। धर्म सिद्धान्त प्रधान होता है और राजनीति व्यवहार प्रधान। धर्म में नैतिकता प्रमुख होती है तो राजनीति में कूटनीति प्रमुख होती है
2. लोकतंत्र तानाशाही की तुलना में अच्छा तथा लोकस्वराज की तुलना में बुरा समाधान माना जाता है। लोकतंत्र में लम्बे समय बाद अव्यवस्था निश्चित होती है और उसका समाधान होता है तानाशाही
3. भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र न होकर संसदीय तानाशाही के रूप में कार्यकर रही है। तंत्र मालिक है और लोक गुलाम
4. स्वतंत्रता के बाद मनमोहन सिंह सबसे अधिक लोकतांत्रिक और सफल प्रधानमंत्री माने जाते हैं। पुत्रमोह में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को अस्थिर किया।

भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के कार्यकाल से ही कांग्रेस पार्टी कोई राजनैतिक दल न होकर एक पारिवारिक सत्ता के रूप में स्थापित हो गयी थी जो आज तक यथावत है। जो लोग इसे दल मानते हैं वे पूरी तरह से भ्रम में हैं। किन्तु यदि नैतिकता और राजनीति के समन्वय की बात करे तो नेहरू और इंदिरा गांधी अधिक अनैतिक तथा कूटनीतिज्ञ के रूप में माने जाते हैं जबकि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल अपेक्षाकृत अधिक नैतिकता के पक्षधर। इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू और संजय गांधी के व्यक्तिगत आचारण के साथ यदि राजीव और सोनिया के अचारण की तुलना की जाये तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। युवा अवस्था में विधवा होने के बाद भी सोनिया गांधी की प्रशंसा करनी चाहिये। यह प्रशंसा तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब सोनिया जी विदेशी संस्कार में पली बढ़ी हैं। इस मामले में राहुल गांधी की भी प्रशंसा करनी चाहिये कि जहाँ 16 से 20 वर्ष के बीच के भारतीय नवयुवक और धर्मगुरु अपने को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो वही 48 वर्ष का नौजवान अविवाहित राहुल गांधी अच्छा आचरण प्रस्तुत कर रहे हो। सोनिया जी ने जिस तरह प्रधानमंत्री पद का मोह छोड़कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया वह उनकी राजनीति में नैतिकता की पराकाष्ठा कही जा सकती है किन्तु बाद में उन्होंने पुत्रमोह में पड़कर जिस तरह मनमोहन सिंह को कमजोर किया वह उनकी नैतिकता के लिये एक अनैतिक आचरण ही माना जाना चाहिये। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जितनी अव्यवस्था बढ़ी उसका बड़ा भाग सोनिया गांधी की चालाकी से पैदा हुआ था। उस समय मैंने ज्ञान तत्त्व क्रमांक 279 और 282 में लिखकर सोनिया जी को सलाह दी थी कि वे राहुल को अभी आगे स्थापित करने की जल्दबाजी न करे अन्यथा नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित हो जायेगा। मैंने यह भी लिखा था कि अभी राहुल गांधी शराफत के मामले में बहुत परिपक्व है किन्तु कूटनीति का अभाव है जो किसी राजनेता का अनिवार्य गुण माना जाता है। मेरी बात नहीं सुनी गयी और परिणाम जो होना था वह हुआ। यदि कोई उक्त अंक फिर से पढ़ना चाहे तो मैं आवश्यकतानुसार फेसबुक या व्हाट्सअप एप में डाल सकता हूँ।

पांच वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी मेरी धारणा वहीं बनी हुयी है कि राहुल गांधी में गांधी के गुण अधिक है और नेहरू के कम। राहुल गांधी सफलतापूर्वक कांग्रेस अध्यक्ष का कार्य तो कर सकते हैं किन्तु प्रधानमंत्री के पद के लिये अभी पूरी तरह अयोग्य है क्योंकि उनमें कूटनीति का अभाव है शराफत बहुत अधिक है। वैसे भी राजनैतिक सूझबूझ यही कहती है कि राहुल गांधी की जगह किसी अन्य विपक्षी नेता अथवा सत्तारूढ़ दल में से किसी को भी आगे करके पांच वर्षों के लिये राहुल गांधी को प्रतीक्षा करनी चाहिये। यह प्रतीक्षा देश हित में भी होगी, कांग्रेस पार्टी के हित में भी होगी और राहुल गांधी के हित में तो होगी ही।

वर्तमान समय में देश की राजनीति ठीक दिशा में जा रही है। नरेन्द्र मोदी बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नितिश कुमार और अखिलेश यादव तक राजनीति केन्द्रीत हो रही है। राहुल गांधी इस राजनैतिक ध्वनीकरण के बीच अनावश्यक पैर फंसा रहे हैं। सत्ता के लालच में जाति संघर्ष अथवा क्षेत्रीयता का उभार अल्पकालिक लाभ दे सकता है किन्तु उससे दीर्घकालिक नुकसान संभावित है। गुजरात में अलपेश ठाकुर के माध्यम से जो लाभ उठाया गया उसका नुकसान भी स्वाभाविक है।

राहुल गांधी के आचरण से भारत की राजनीति में आमूल चूल बदलाव दिख रहा है। अब तक भाजपा और संघ हिन्दुत्व के अकेले दावेदार थे। साथ ही मुस्लिम कट्टरवाद वोट बैंक के रूप में अन्य सभी राजनीतिक दलों की ढाल बना हुआ था। राहुल गांधी ने पहल करके इस समीकरण की पूरी तरह से बदल दिया है। अब भाजपा और संघ हिन्दू मुस्लमान के बीच ध्वनीकरण करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं क्योंकि राहुल की पहल के बाद अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भी हिन्दू वोट बैंक का महत्व समझ लिया है। मैं पांच वर्ष पहले भी स्पष्ट था और आज भी मानता हूँ कि इस बदलाव में राहुल गांधी की कोई राजनैतिक योजना न हो कर यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो पहले स्पष्ट नहीं दिख रही थी। राहुल गांधी हिन्दू मंदिरों में अधिक जाकर कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी में दीर्घ कालिक ढोंग की समझ ही नहीं है। राहुल के जीवन में वास्तविक हिन्दुत्व की धारणा मजबूत हो रही है।

इस हिन्दुत्व के नवजागरण में भी राहुल गांधी से एक भूल हुई है। नरेन्द्र मोदी एक राजनीति के सफल खिलाड़ी है तो राहुल गांधी एक असफल अनाड़ी। एक वर्ष पहले तक यह स्पष्ट दिख रहा था कि संघ परिवार ओर नरेन्द्र मोदी एक साथ नहीं रह सकेंगे। टकराव अवश्य ही होगा और वह टकराव राहुल गांधी के लिये लाभदायक होगा। किन्तु राहुल गांधी ने जिस तरह अल्प कालिक लाभ के लिये संघ के समक्ष प्रवीण तोगड़िया का सहारा लिया उसके कारण संघ और मोदी के बीच की दूरी समाप्त हो गयी। अब राहुल गांधी के सामने यह संकट है कि वे कट्टरवादी हिन्दुत्व और जातिय टकराव को एक साथ कैसे रख पायेंगे। संघ ने तो पंद्रह दिन पूर्व मोहन भागवत के भाषण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वह नरेन्द्र मोदी के साथ नरम हिन्दुत्व की ओर बढ़ेंगे। राहुल गांधी के अलावा अन्य सभी विपक्षी दल भी नरम हिन्दुत्व की ओर जाने को लालायित है। राहुल गांधी में इतनी समझ नहीं है कि वे कट्टरपंथी इस्लाम और कट्टरपंथी हिन्दुत्व की दो नावों की सवारी एक साथ कर सके। राहुल को चाहिये था कि वे संघ परिवार और मोदी के बीच की दूरी को हवा दें। किन्तु ऐसा लगता है कि वे चूक गये। मैं अभी भी इस मत का हूँ कि सोनियां गांधी के आगे आकर यह घोषणा कर देनी चाहिये कि अगले पांच वर्ष के लिये किसी भी परिस्थिति में नेहरू इंदिरा परिवार का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। शायद यह घोषणा नरेन्द्र मोदी की सफलता में बाधक बन सके। शायद पांच वर्ष बाद राहुल गांधी का नम्बर आ जाये अन्यथा अधिक सम्भावना यहीं दिखती है कि राहुल गांधी माया मिले न राम की तरह न गांधी जैसे सम्मानित स्थान पा सकेंगे और न ही नेहरू और इंदिरा सरीखे राजनीतिक शक्ति पा सकेंगे।

श्री आचार्य पंकज जी का जीवन परिचय

ज्ञान-यज्ञ के प्रेरणा स्रोत व सामाजिक विषय के प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि जी के विचारों से प्रभावित एवं तार्किक तालमेल रखते हुए मुनि जी के साथ कई प्रमुख विषयों के कार्यों में साथ रहे। आचार्य पंकज जी का जन्म ग्राम—हरहुआ वाराणसी उत्तर प्रदेश में 01 जुलाई 1947 में हुआ है। उनके पिता का नाम स्व० पं० कुलदीप शास्त्री राजवैद्य तथा स्व० माता का नाम श्रीमति सरस्वती है। आचार्य जी की वर्तमान समय में आयु 71 वर्ष की है और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी से प्रारंभ कर आचार्य तक की शिक्षा अर्जित की व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद आचार्य जी ने अपने जीवन को सामाजिक दिशा में मोड़ करके कई प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करते हुये अपने जीवन को समर्पित कर कमबद्ध पूर्वक जैसे सामाजिक कार्यों के साथ—साथ “लेखन—चिंतन” में लगा दिया। आपके द्वारा रचित पुस्तक “नींद हाराम काव्य संग्रह”, “आगे बढ़ो”, “संस्कृत साहित्य” प्रमुख संग्रह है। वेद वेदांत के ज्ञान का कार्य तथा (लोकतंत्र सेनानी) की भूमिका में जे.पी आंदोलन में 19 माह तक जेल में नजरबंद रहे और इसके पश्चात राजनैतिक क्षेत्र में जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों में रहे जिसमें “राष्ट्रीय महासचिव” युवा जनता, जनता पार्टी भारत, का दायित्व निभाया। 1978 ई0 में विश्व युवा समारोह लेटिन अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार ब्लूरो के संपादक व अन्य कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुये आपकी मुनि जी के साथ सामाजिक कार्य के

प्रति सदैव रुचि बनी हुयी है इसलिए आपने वर्तमान समय में ज्ञान-यज्ञ के संरक्षक व बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड के प्रमुख निदेशक के दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाज में संतुलन स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और निस्वार्थ भाव से सामाजिक व धार्मिक कार्यों में भूमिका निभाते रहते हैं। आचार्य पंकज जी ने छात्र जीवन में देश के विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आपके द्वारा किये गये सफलतापूर्वक कार्यों के लिए ज्ञान यज्ञ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

— अभ्युदय द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक “ज्ञान-यज्ञ”

समाज सेवी डॉ राजे सिंह नेगी जी का जीवन परिचयः—

तीर्थ नगरी ऋषिकेश एवं हरिद्वार की सीमा के बीचोबीच संगम के रूप में प्रकाशित ग्राम सभा हरिपुरकलौं क्षेत्र में बहुत ही समान्य परिवार में जन्मे डॉ राजे सिंह नेगी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉ राजे नेगी जी का जन्म 24 मई 1983 को ग्राम सभा हरिपुर कलौं में श्री प्रेम सिंह नेगी जी एवं शीला देवी के तृतीय पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता श्रीमती शीला नेगी जी गृहणी है। डॉ राजे नेगी जी के पिता श्री प्रेम सिंह नेगी जी अब सेवा निवृत्त अध्यापक हैं। उनके सबसे बड़े भाई मनमोहन सिंह नेगी केंद्रीय विद्यालय रायवाला में खेल शिक्षक के रूप में कार्यरत है और दूसरे बड़े भाई अरविंद सिंह नेगी भारतीय थल सेना में नायक पोस्ट पर हैं। डॉ नेगी की धर्मपत्नी विनीता नेगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फकोट टिहरी गढ़वाल में नेत्र दृष्टिमितिज्ञ के पद पर कार्यरत है। उनकी दो पुत्रियां हैं। डॉ नेगी का पूरा परिवार अभी भी संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहते हैं। डॉ राजे नेगी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से हाई स्कूल तक की पढ़ाई हरिपुरकलौं में की। उसके बाद बारहवीं की शिक्षा विज्ञान विषय से राजकीय इंटर कॉलेज रायवाला से उत्तीर्ण की। उसके बाद मेडिकल में ग्रेजुएशन के साथ ही नेत्र विज्ञान में 3 वर्ष का डिप्लोमा करने के बाद गत 5 वर्षों से ऋषिकेश में अपना स्वयं नेत्र विलनिक चला रहे हैं। वलीनिक चलाने के साथ-साथ सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहकर डॉक्टर नेगी जी स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लोकभाषा के क्षेत्र में समाज हित में लगातार कार्यरत रहते हैं। उनके द्वारा अब तक 100 से अधिक निशुल्क नेत्र शिविरों का आयोजन एवं दो दर्जन से ज्यादा रक्त एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ऋषिकेश मायाकुंड में संचालित निशुल्क शिक्षण संस्थान उड़ान उनकी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। डॉ नेगी जी द्वारा स्कूल में गरीबी की पृष्ठभूमि से पीड़ित लगभग पचास से अधिक बच्चों को निशुल्क शिक्षा के साथ ही स्कूल में जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। डॉ नेगी जी द्वारा संचालित यह विद्यालय प्रदेश में गढ़वाली लोकभाषा पढ़ाया जाने वाला एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है। इसके साथ-साथ डॉ नेगी जी द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए गरीब पृष्ठ भूमि के मेधावी युवाओं को निशुल्क कोचिंग की सुविधा भी दिलाई जाती है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 100 सीटें निर्धारित की गई हैं जिसमें साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया के माध्यम से युवाओं को निशुल्क कोचिंग हेतु प्रवेश दिया जाता है।

डॉ नेगी जी द्वारा गढ़वाल महासभा का गठन कर लोकभाषा एवं लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु अब तक कई साहित्य-सम्मेलन, साहित्य-गोष्ठी, लोक भाषा कवि-सम्मेलन तथा दर्जनों पुस्तकों का लोकार्पण के साथ-साथ उत्तराखण्ड के जाने-माने गायकों व उभरते कलाकारों की ऑडियो एवं वीडियो एलबमों लोकार्पण साथ अब तक आधा दर्जन आंचलिक फिल्मों (उत्तराखण्ड की फिल्मों) का प्रदर्शन करवाने में मुख्य भूमिका निर्धारी है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के पत्रकारों, वृद्धों, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों, उभरते प्रतिभाओं को सम्मानित करना एवं उनको मंच प्रदान करना भी उनके सामाजिक कार्य में सम्मिलित हैं तथा पौड़ी गढ़वाल “योग एसोसिएशन” के चेयरमैन होने के नाते समय-समय पर योगासन प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं योग के प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता से लौटने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित करना। उत्तराखण्ड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संरक्षक के तौर पर जुड़े रहकर प्रदेश एवं जिला स्तरीय खेल से जुड़ी हर प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहयोग एवं प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी करते हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं नशा मुक्ति आदि राष्ट्रीय एवं राज्य के जिले स्तर पर अपनी टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में अभियान व कैंप चलाए जाते हैं। डॉ नेगी जी को उपलब्धि के तौर पर अब तक प्रदेश की कई संस्थाओं द्वारा राज्य के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। व्यवस्था परिवर्तन मंच के माध्यम से अब तक ऋषिकेश को जिला बनाने तथा ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज की मांग एवं हरिद्वार तक आने वाली सभी ट्रेनों को ऋषिकेश तक लाने के साथ-साथ, पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति एवं ऐस्स में स्थानीय लोगों की नियुक्ति तथा ऐस्स में इलाज की बढ़ाई गई दरों को कम करने जैसे स्थानीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर डॉक्टर नेगी जी व उनकी टीम द्वारा आमरण अनशन एवं आंदोलन किए जा चुके हैं। जिसमें कई मुद्दों पर सफलता भी हासिल हुयी है। राज्य सरकार से नशा नहीं रोजगार एवं गैरसैन उत्तराखण्ड की राजधानी बनाने जैसी मुख्य मांग को लेकर डॉ नेगी संघर्षरत है।

इसके अलावा गढ़वाल महासभा के द्वारा उनकी प्रदेशों के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में गढ़वाली कुमाऊंनी एवं जौनसारी राज्य की बोली को पढ़ाई जाने की मांग उठाई है तथा प्रदेश के हर जिले में सिनेमाघर एवं गढ़वाल व कुमाऊं भवन का निर्माण की भी मांग के साथ लगातार संघर्षरत है। इन्ही संघर्षों के बीच श्री आचार्य पंकज जी के माध्यम से प्रख्यात विचारक मौलिक चिंतक श्री बजरंग मुनि से मिले और मुनि जी द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान तत्व को पढ़कर तथा मुनि जी के विचारों से प्रभावित होकर ज्ञान-यज्ञ से जुड़ते हुए डॉ नेगी जी ने हरिद्वार-ऋषिकेश लोक प्रदेश प्रमुख की जिम्मेदारी लेते हुये दिनांक 19 अगस्त 2018 को बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के प्रबंध कार्यालय का शुभारंभ कराया व उसका पूरा संचालन डॉ नेगी जी द्वारा किया गया जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को प्रबंध कार्यालय ऋषिकेष में ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में भी डॉ राजे सिंह नेगी जी की बराबर सहभागिता रहती है। उक्त कार्यक्रम के सफलतापूर्ण आयोजन एवं ज्ञान यज्ञ को गति देने के लिए डॉ राजे सिंह नेगी को ज्ञान यज्ञ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद व शुभकामनाएं।

—अभ्युदय द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक, “ज्ञान यज्ञ”।

सामयिकी

मैं लगभग साठ वर्षों से लिखता रहा हूँ कि हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है, विचार धारा है, संस्थागत ढांचा है, संगठन नहीं। संघ परिवार हिन्दुत्व की मूल अवधारणा से अलग संगठनात्मक स्वरूप की दिशा में बढ़ रहा है। यदि साम्यवाद तथा इस्लाम संगठित स्वरूप में एक लाइलाज समस्या बन चुके हों तो संघ के नेतृत्व में हिन्दुओं को संगठित होकर उक्त बीमारी का इलाज करना चाहिये किन्तु यह संगठनात्मक सोच अल्पकालिक हो, इलाज तक सीमित हो, हिन्दुओं का मूल चरित्र न बन जावे अन्यथा हमारे और इस्लाम में फर्क क्या रहेगा। वे दाढ़ी वाले मुसलमान हम चोटी वाले मुसलमान। मुझे लगता रहा कि संघ मेरी सोच के विपरीत सोचता है।

कल संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा उससे मेरा संदेह दूर हो गया उन्होंने हिन्दुत्व की मूल अवधारणा की खुलकर चर्चा की। उन्होंने जातिवाद पर कड़ी चोट की, आरक्षण को मजबूरी बताया, मुसलमानों को प्रवृत्ति के आधार पर समझने की बात की तथा हिन्दुत्व को खान पान वेष भूषा से आगे बढ़कर वसुधैव कुटुम्बकम की ओर बढ़ने की बात कही। उन्होंने गो हत्या का विरोध किया किन्तु लिंचिंग को गलत बताकर उसके लिये संवैधानिक मार्ग की वकालत की।

मैं नहीं कह सकता कि संघ में यह वैचारिक बदलाव है अथवा संघ को मोदी सरकार के बाद यह विश्वास हो गया है कि साम्यवाद इस्लामिक गठजोड अब लाइलाज बीमारी नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी दल अपनी सत्तर वर्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में बदलाव लाकर हिन्दू तुष्टीकरण की ओर लपक रहे हैं उससे भी संघ में बदलाव आ सकता है। कारण चाहे जो हो किन्तु यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे मन में भी संघ के प्रति बदलाव की धारणा मजबूत कर रहा है।

एक ओर तो संघ प्रमुख ने इस्लाम के प्रति अपनी धारणा प्रस्तुत की दूसरी ओर भारत सरकार ने तीन तलाक अध्यादेश लाकर यह स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों को धार्मिक कट्टरता छोड़नी ही होगी। भारत धार्मिक इस्लाम का पूरी

तरह स्वागत सम्मान करेगा किन्तु संगठित इस्लाम को कुचलने का भी हर प्रयत्न जारी रखेगा। मुसलमान रोजा, नमाज, जकात, कलमा आदि धार्मिक कार्यों के लिये पूरी तरह स्वतंत्र हैं किन्तु चार शादी, संख्या वृद्धि, तीन तलाक, धर्म स्थान विवाद, किसी टकराव की स्थिति में संगठित होकर कानून हाथ में लेना, चुनावों में संगठित होकर ब्लैकमेल करना, शरिया जैसी परंपराओं से हटना ही होगा। सरकार के अध्यादेश का जिस तरह कटटरपंथी मुसलमानों ने विरोध किया तथा कॉग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कटटरपंथियों का समर्थन किया उससे ऐसा लगता है कि हिन्दुत्व के प्रति अब भी इन सबकी नीयत साफ नहीं है और वे सिर्फ मौके की तलाश में हैं।

भविष्य चाहे जो होगा किन्तु मैं संघ के इस बदलाव की भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ और मुस्लिम कट्टरपंथियों से निवेदन करता हूँ कि वे संगठन की जगह सहजीवन के मार्ग को महत्वपूर्ण माने। मरता हुआ साम्यवाद अब आपकी सुरक्षा नहीं कर सकेगा।

सामयिकी

संपूर्ण विश्व में चीन को साम्यवाद का सर्वाधिक सफल देश और इस्लाम को सर्वाधिक सफल संगठन माना जाता है। जब से साम्यवाद कमजोर हुआ है तभी से साम्यवाद और इस्लामिक संगठनों के बीच तालमेल बढ़ा है। भारत में तो यह तालमेल पूरा ही है। किंतु आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस्लामिक संगठन और साम्यवाद सहजीवन को स्वीकार करके टकराव का मार्ग छोड़ दे। किंतु चीन में दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपसी टकराव के मार्ग पर हैं। चीन ने अपने देश में मुस्लिम बहुल प्रदेश के मुसलमानों को अपना स्वभाव बदलने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया है। मुसलमानों के लिए जेले बनाकर उन्हें सुधार गृह का नाम दिया जा रहा है। उनकी सभी इस्लामिक मान्यताओं को कानूनी आधार पर बदलने को मजबूर किया जा रहा है। उनके खान-पान तथा पूजा पद्धति में संशोधन कराने का अभियान चल रहा है। जिन मुसलमानों को भारत में समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं उन्हें वहाँ दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। सारे अत्याचार देखकर के भी दुनिया के मुस्लिम देश चुप है। खासकर पाकिस्तान तो बिल्कुल ही चुप है क्योंकि एक ओर तो वैसे ही इस्लाम संपूर्ण विश्व में संदेह की नजर से देखा जा रहा है दूसरी ओर पाकिस्तान को कटोरे में भीख की भी उम्मीद तो चीन से ही है। बोले तो क्या और कैसे बोले। सारी अकड़ ढीली हो गयी है।

विचारणीय प्रश्न यह भी है कि आज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ऐसी क्यों हुयी। पाकिस्तान ने कभी अपना इस्लामिक स्वभाव नहीं बदला हम भले ही भूखे मर जावे किंतु कश्मीर लेकर के ही रहेंगे इस संगठन वादी सोच का ही परिणाम है कि वह भुखमरी की स्थिति तक पहुंच रहा है। परिस्थिति अनुसार नीतियों में संशोधन करना चाहिये। पाकिस्तान कश्मीर तो ले पायेगा नहीं उल्टे भूखा अवश्य मरेगा। इसी तरह चीन के जो मुस्लिम संगठन चीन से टकराने की सोच रहे हैं वे भी भ्रम में हैं। चीन कोई म्यांमार नहीं है जहां से निकल कर आप अन्य देशों में शरण पा लेंगे। चीन की आंतरिक व्यवस्था एक लौह कवच है जिससे आप टकरा नहीं सकते। इसलिए उचित होगा कि आप अपने स्वभाव को बदलें यदि आप सहजीवन स्वीकार करके टकराव का रास्ता छोड़ दे तो चीन सरकार भी दमन का मार्ग छोड़ सकती है। चीन का उद्देश्य आप के खान पान रहन सहन में बदलाव करना नहीं है बल्कि आपकी टकराव की आदत को बदलना है। चीन पूरी दुनिया में आपके सर्वाधिक नजदीक है इसलिए सबसे टकराव अच्छी आदत नहीं।

सामयिकी

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिये। आधार कार्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी व्यवस्था के पक्ष में निर्णय दिया कि आधार कार्ड किसी भी रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं है। कोर्ट ने समलैंगिकता के कानून पर कहा कि ऐसा कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण है। कोर्ट ने व्यभिचार और बलात्कार को अलग-अलग करते हुए व्यभिचार को सामाजिक बुराई माना और बलात्कार को अपराध। न्यायालय के अनुसार शारीरिक इच्छा पूर्ति के लिये अनैतिक संबंध बनाना सामाजिक बुराई है किन्तु अपराध नहीं। कोर्ट ने मस्जिद और नमाज पर भी निर्णय दिया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अधिकार नहीं। कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर जाने का समान अधिकार भी दिया। सबरीमाला मन्दिर में दस से पचास की उम्र तक की महिलाएँ नहीं जा सकती थीं। एक अन्य निर्णय में कोर्ट ने

शहरी नक्सलियों के खतरे को यथार्थ मानते हुए उनकी नजरबंदी की अवधि बढ़ा दी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के प्रमाणों को महत्वपूर्ण माना। मेरे विचार से सभी निर्णय स्वागत योग्य हैं।

आधार एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आधार पूरी तरह अनिवार्य होना ही चाहिये। अपराधी तत्व ऐसी निश्चित पहचान से डरते हैं। उनकी बात न्यायालय ने नहीं सुनी। दो व्यक्तियों के बीच सहमत संबंधों में कोई कानून बाधक नहीं हो सकता। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे सामाजिक अनुशासन से ही जिन्दा रखा जा सकता है, सरकारी शासन से नहीं। यदि आप विवाह, तलाक, अनैतिक, संबंध आदि पर अधिक प्रतिबंध लगायेगे तो विवाह व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायेगी। आप दो व्यक्तियों की आपसी स्वतंत्रता और सहमति में कानूनी हत्तक्षेप न करें तभी अच्छा होगा। सबरीमाला मन्दिर का निर्णय भी ठीक है। जब हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति है, इस्लाम, इसाई सरीखा सम्प्रदाय नहीं तो हिन्दू मंदिर यदि नितान्त व्यक्तिगत नहीं हैं तो सामाजिक है, सिर्फ हिन्दुओं के नहीं। उसकी व्यवस्था में सामूहिक भागीदारी होनी चाहिये। शहरी नक्सलियों का विषय अधिक चर्चा का विषय बन गया था। न्यायालय के रूख से ऐसा लगता था कि न्यायालय शहरी नक्सलियों को राहत देगा। नक्सल समर्थक वामपंथियों तथा पूरे विपक्ष ने भी बहुत जोर लगाया था किन्तु न्यायालय द्वारा नक्सलियों के खिलाफ निर्णय देने से आभास होता है कि या तो न्यायपालिका में साम्यवादियों का प्रभाव घट रहा है अथवा नक्सलियों के खिलाफ सरकार के पास इतने मजबूत प्रमाण थे कि न्यायालय अन्देखा नहीं कर सका।

मैं लम्बे समय से इन विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता रहा हूँ। मैंने अपने विचार ज्ञान तत्व के माध्यम से लगभग चालीस वर्षों से समाज के समक्ष प्रस्तुत किये। मौखिक रूप से तो मैं साठ वर्षों से मैं लगभग ये सब बाते बोलता रहा हूँ। मेरे सरीखा सामन्य व्यक्ति इन मुददों पर स्पष्ट राय रखता रहा है किन्तु न्यायालय को ऐसे मामलों में निर्णय करने में सत्तर वर्ष लग गये और अभी भी अनेक मामलों में निर्णय होना बाकी है। अभी तो न्यायालय ने असामाजिक और अपराध को मात्र अगल-अलग करना शुरू किया है। व्यभिचार एक असामाजिक कार्य है और बलात्कार अपराध किन्तु कुछ अति उच्च चरित्रवान तथा स्वार्थी राजनेता असामाजिक और समाजविरोधी को एक मान लेते हैं। इससे ही भ्रम होता है। अभी तो यह प्रारंभ है धीरे-धीरे अनेक कानून रद्द हो जायेंगे और समाज मजबूत होगा।

सामयिकी

श्री अनुज अग्रवाल एक सुलझे हुए विश्लेषक है। उनकी पत्रिका डायलाग इंडिया बौद्धिक जगत को अच्छा मार्ग दर्शन करती है। अकट्टूबर अठारह के अंक के संवादकीय में उन्होंने नकली धर्म निरपेक्षता नरम हिन्दुत्व और गरम हिन्दुत्व का अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया है किन्तु अंत में उन्होंने गरम हिन्दुत्व के विस्तार की जो संभावना व्यक्त की है उससे मैं सहमत नहीं। मेरे विचार में भारत में गरम हिन्दुत्व का विस्तार घातक भी है और असंभव भी।

भारत एक हिन्दू बहुल देश है। हिन्दु संस्कृति तथा इस्लामिक संस्कृति में आसमान जमीन का फर्क है। हिन्दू आम तौर पर अत्याचार सह सकता है किन्तु कर नहीं सकता दूसरी ओर इस्लाम आम तौर पर अत्याचार सह नहीं सकता भले ही कर सकता है। नरम हिन्दुत्व के सांस्कृतिक बदलाव में पीढ़ियां खप जायेगी क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से नरम है। मुसलमान को आसानी से गरम किया जा सकता है क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से गरम है। भारत में हिन्दू महासभा सरीखे गरम हिन्दुत्व के समर्थक आगे नहीं बढ़ पाये और उनकी तुलना में संघ आगे बढ़ा। भारत में संघ की भी तुलना में नकली धर्म निरपेक्षता ही हावी रही। यदि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस्लाम समर्थक न हुई होती तो हिन्दू इस तरह इकठ्ठा नहीं होता। अब भी यदि कुछ कटटर मुस्लिम मुल्ले मौलवी मूर्खता न करे तो हिन्दुओं का गुरस्सा जल्दी ठंडा हो जायेगा।

जब नकली धर्म निरपेक्षता हिन्दुत्व की ओर झुकने को प्रयत्नशील है तो यह नरम हिन्दुत्व की सफलता मानी जानी चाहिये। भारत में अब तक मोदी तथा संघ के हिन्दुत्व के प्रति इमानदारी पर संदेह नहीं हो सकता। यदि प्रवीण तोगड़िया सरीखे गरम लोग नकली धर्म निरपेक्षों के साथ तालमेल कर रहे हैं तो यह उनकी मुर्खता होगी। वे स्वयं तो छूबेंगे ही साथ में कांग्रेस को भी छुंबों देंगे क्योंकि भारत का हिन्दू कभी मुसलमानों की तरह कटटरता पसंद नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि संघ और मोदी की तुलना में प्रवीण तोगड़िया सरीखे गरम हिन्दुत्व के पक्षधर हारी हुई जंग लड़ रहे हैं जिनका प्रोत्साहन ठीक नहीं।

उत्तरार्ध

अपनो से अपनी बात

मैं अब तीन चार माह से ऋषिकेश रहने लगा हूँ। दिल्ली कार्यालय का संचालन ओम प्रकाश जी दुबे और रामवीर जी कर रहे हैं तथा ऋषिकेश का आचार्य पंकज जी सम्हाल रहे हैं। मैं कुछ समय दिल्ली तथा ज्यादा ऋषिकेश रहता हूँ। ऋषिकेश से ज्ञान यज्ञ तथा बजरंग मुनि सामाजिक शोध संस्थान का काम संचालित है तो दिल्ली से ग्राम संसद तथा जन संसद का।

सबका एक संयुक्त सम्मेलन दो और तीन फरवरी को नोयडा धर्मशाला मे होगा। एक फरवरी तक आप सबको आ जाना अधिक अच्छा है। सम्मेलन का पूरा संचालन अभ्युदय द्विवेदी जी द्वारा किया जायेगा। सम्मेलन मे पांच सत्र होगे। दो तारीख को प्रातः नौ बजे से एक बजे तक उदघाटन सत्र होगा तथा शोध संस्थान पर चर्चा होगी। दो से पांच तक ज्ञान यज्ञ क्या क्यों और कैसे की चर्चा होगी। पांच से आठ तक जन संसद अभियान, तीन को प्रातः नौ से साढ़े बारह बजे तक ग्राम संसद अभियान, दो से पांच तक भविष्य की कार्य विभाजन तथा समापन सत्र होगा।

अगले वर्ष भादो की प्रतिपदा से पूर्णमासी दिनांक तीस अगस्त से चौदह सितम्बर तक पंद्रह दिन का ऋषिकेश मे ज्ञानोत्सव यज्ञ सम्पन्न होगा। इस पंद्रह दिवसीय यज्ञ मे धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ कुछ विचार मंथन भी चलता रहेगा। विचार मंथन के लिये प्रतिदिन दो विषय निश्चित हैं जिनके दिनांक तथा विवरण ज्ञान तत्व तीन सौ इक्यासी मे आपको भेजा जा चुका है। धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन रही है। मंथन भी गंभीर और परिणाम दायक हो इसकी तैयारी की जा रही है। अभी से ही प्रति सप्ताह एक विषय पर ज्ञान तत्व तथा फेसबुक वाटस अप मे मै अपने विचार प्रकाशित करूँगा। उस विषय पर अन्य विद्वानों तथा पाठको के कोई विस्तृत विचार या लेख प्राप्त होंगे तो वे ज्ञान तत्व फेसबुक के माध्यम से सबको भेजे जायेंगे। प्रश्नोत्तर भी लगातार चलता रहेगा। इस तरह सबके विचार सबको उपलब्ध हो जायेंगे। यह मंथन सभी विषयों पर कार्यक्रम प्रारंभ होते तक चलता रहेगा। एक विषय पर चर्चा पांच घंटे की रहेगी। पहले दो घंटे मे प्रत्येक वक्ता को स्थिति अनुसार पांच या सात मिनट का समय दिया जायेगा। विषय प्रारंभ करने वाले वक्ता को दस मिनट दे सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक वक्ता तीन मिनट मे दुबारा अपनी बात रख सकता है। उसके बाद प्रत्येक वक्ता एक से डेढ़ मिनट मे दुबार अपनी बात रख सकता है। यदि कोई श्रोता किसी वक्ता से बीच मे प्रश्न करना चाहे तो लिखकर पूछ सकता है। पांचवा एक घटा खुले प्रश्नोत्तर का होगा। जिसमे सब लोग विचार मंथन कर सकते हैं। अंतिम दस मिनट मे यदि कोई प्रस्ताव कुल उपस्थिति के नब्बे प्रतिशत से पारित होता है तो वह प्रस्ताव लिखा जायेगा अन्यथा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ऐसा पारित प्रस्ताव दूसरे दिन के प्रथम सत्र मे फिर से मतदान हेतु प्रस्तुत होगा और दुबारा पारित होने के बाद उसे पारित मान लिया जायेगा। इस पंद्रह दिवसीय ज्ञानोत्सव यज्ञ के लिये कोई चंदा इकठठा नहीं किया जायेगा। श्रद्धालु जन स्वेच्छा से जो दान देंगे उसी से खर्च की व्यवस्था होगी। पंद्रह दिवसीय ज्ञानोत्सव यज्ञ के संचालन और व्यवस्था संबंधी अंतिम निर्णय बजरंग मुनि जी का होगा।

ज्ञानोत्सव यज्ञ मे यज्ञ तथा मंथन मे कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। कोई सदस्यता का बंधन नहीं है। भोजन और निवास की यथा संभव उचित व्यवस्था होगी जो नि: शुल्क रहेगी। फरवरी के दो दिवसीय सम्मेलन की रूपरेखा संरथागत तथा पंद्रह दिन के ज्ञानोत्सव यज्ञ की रूपरेखा धार्मिक प्रधानता की रहेगी। आप से निवेदन है कि आप अभी से अपने अपने टिकट करा ले जिससे भविष्य मे कठिनाई न हो। आपकी उपस्थिति हम सबके लिये उत्साह वर्धक होगी।